



2026:AHC:178899

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8740 सन् 2026

रिजवान @ रिजवान अहमद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 1 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : प्रेम चंद्र पटेल, रोहित सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 04 सन् 2020, थाना वाराणसी सेक्टर (ई.ओ.डब्ल्यू.), जनपद वाराणसी में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 468, 471, 477ए, 120बी, 34 के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदक एक उचित मूल्य दुकान अभिकर्ता है। प्रश्नगत घटना वित्तीय वर्ष 2004-2005 से संबंधित है। परिवाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत शासकीय धनराशि तथा खाद्यान्न के दुरुपयोग के संबंध में था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि सह-अभियुक्त अशोक राय उर्फ अशोक कुमार राय को इस न्यायालय द्वारा एन.ए.बेल संख्या 6907 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। सह-अभियुक्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रभावती पाल, जो जिला पंचायत अध्यक्ष थीं, को एन.ए.बेल संख्या 6512 सन् 2026 में अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त अशोक राय उर्फ अशोक कुमार राय के मामले के समान आधार पर है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2020 में वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान कारित किए गए अभिकथित अपराध के संबंध में दर्ज कराई गई है। सह-अभियुक्त अशोक राय उर्फ अशोक कुमार राय को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त मामले में विवेचना अभी भी लंबित है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक-रिजवान उर्फ रिजवान अहमद की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं समझा जाए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

Translated Version, Not For Legal Use.